न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 152/2019 (RCMS : 2019/ 000284) अनवान 1. विक्रमजीत पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मोमनराम 2. श्रवण कुमार 3. मेघराज पिसरान श्री सुरजाराम जाति जाट निवासीयान मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 4. रणवीर पुत्र भागीरथ 5. रघुवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासीयान मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है । प्रार्थी के अधिवक्ता न कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 495/2019 अनवानी मोमनराम बनाम रणवीर में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। यदि इस मुंतकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 495/2019 अनुवानी मोमनराम बनाम रणवीर में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested